न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 31/22 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2022/81

उनवान

1. हकमुददीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सददाम हुसैन पुत्र अख्तर हुसैन जाति मेव निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... वादी रैस्पो0

2. समीम अहमद } पिसरान अख्तर हुसैन जाति मेव निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला
3. मुख्यतार अहमद } भरतपुर।

..... तरतीवी प्रतिवादी रैस्पो0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

..... फोरमल रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 07.06.2022 उनवानी सददाम हुसैन बनाम हकमुददीन मु0न0 36/2019

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के आदेश दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/वादी रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 520/0.31 वाके ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी में स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व वास्तविक कब्जे काश्त की है। जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जिससे आये दिन फसल को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य झगडा हो जाता है। वादी ने प्रतिवादी से विवादित आराजी के विधिवत विभाजन की कही तो वह साफ इंकारी हो गये एवं एलानियाँ धमकी दी कि वह अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर लेंगें। यदि प्रतिवादी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुये अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काविल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 लगायत 03 का निर्णय रिकार्ड व कानूनी प्रावधानो के विपरीत किया है। पत्रावली में दान पत्र और राजीनामा प्रस्तुत है जिससे स्पष्ट है कि पूर्व ही परिवार के मुखिया हाल अन्य आराजी के साथ विवादित आराजी का वॅटवारा किया जा चुका है। दान पत्रो के आधार पर दाखिल खारिज संख्या 2035 के आधार पर सभी पक्षो के नाम इन्द्राज दर्ज हो चुके हैं, आज तक किसी भी न्यायालय ने दान पत्र को निरस्त नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी प्रावधानो को नजरअन्दाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है, जो काविल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 विवादित आराजी के साथ–साथ अन्य आराजी पर भी सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। वॅटवारा सभी नम्बरो का होना चाहिये था। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने केवल इसी नम्बर पर विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जो कि कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी है। इसके अलावा प्रकरण में पहले प्राथमिक डिक्री पारित होनी चाहिये थी। तत्पश्चात् तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनकर अन्तिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सीधे अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभापक रैस्पो0 ने जवावी वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का यह कथन सारपूर्ण नहीं है कि अन्य सहखातेदारी के नम्बरो को दावे में सम्मिलित नहीं किया है। क्योंकि उक्त तथ्य अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया। यदि उन्हें इस वावत् कोई उज्र था तो अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में अन्य खसरा नम्बरो को दावे में सम्मिलित करा सकते थे। राजीनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी बाबत् विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को पाबन्द किया है। अतः अपीलाण्ट की सभी आपत्तियॉ निराधार हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से दावे को अन्तिम डिक्री कर दिया। जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रथम प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर, तहसीलदार से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलव किये जाकर एवं तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रक्रियात्मक चूक की है। इसके अलावा हम अपीलाण्ट अभिभाषक की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि वादी रैस्पो0 द्वारा अन्य सहखातेदारी की आराजी को प्रकरण में शामिल नहीं किया है। विधि अनुसार विभाजन के दावे में समस्त सहखातेदारी की आराजी को शामिल करना होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के निर्णय दिनांक 07.0.2022 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, प्रकरण में प्रथम प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये, तत्पश्चात तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव कर एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्ति का अवसर प्रदान करते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

03.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर